विश्व मामलों की भारतीय परिषद्

वर्ष 2014-2015
के वार्षिक लेखे

विषय-सूची

विश्व मामलों की भारतीय परिषद् 31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे	1
31.03.2015 को तुलन पत्र की स्थिति	3
31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के आय-व्यय लेखे	4
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	16

(1)

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपए मे)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I.प्रारंभिक शेष			I. व्यय		
(क) नकद रोकड़	6,573	-	(क) संस्थापना व्यय		
			वेतन, पी एफ आदि	1,27,83,857	1,16,41,539
(ख) बैंक में जमाराशि			बोनस	96,712	1,02,732
भारतीय स्टेट बैंक चालू खाता	8,51,496	96,11,322	उपदान व्यय	14,50,046	3,77,176
भारतीय स्टेट बैंक बचत खाता	1,92,19,079	73,71,311	पेंशन फंड में परिषद का अंशदान	2,61,930	1,60,629
			स्टाफ कल्याण व्यय	602	1,21,406
(ग) अन्य			प्रशासनिक निरीक्षण प्रभार - आरपीएफसी	14,908	13,235
अग्रदाय खाता	5,000	5,000	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	8,42,042	6,62,628
प्रेषक के पास डाक टिकटें	4,406	2,968	कर्मचारियों का सामूहिक बीमा	44,378	12,940
चेक इन हैंड	10	-			
II. अनुदान			(ख) प्रशासनिक व्यय		
एमईए से अनुदान - सामान्य	8,51,00,000	7,17,75,000	विज्ञापन व्यय	85,657	1,36,051
एमईए से अनुदान - वेतन	1,54,00,000	1,30,77,000	लेखापरीक्षा शुल्क	2,90,060	2,97,435
एमईए से अनुदान - सीएससीएपी बैठकें	15,94,711	10,76,149	अन्य व्यय	3,56,337	41,552
एमईए से अनुदान - सेमिनार	5,17,827	81,60,372	प्रकाशन की लागत	18,06,180	25,10,664
			सीएससीएपी सामान्य व्यय	-	280
III. आय			विद्युत एवं जल प्रभार	41,19,129	38,76,106
पुस्तकालय की सदस्यता	40,400	38,800	कार्यालय बीमा व्यय	69,325	34,158
विविध आय	4,22,532	64,392	बैठक एवं सेमिनार व्यय	84,61,364	92,19,383
रायल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	6,22,210	5,62,130	एनडीएमसी गृह कर	41,34,695	65,585
बचत खाते से अर्जित व्यय	9,99,377	10,47,768	कार्यालय व्यय	7,49,751	5,39,026
			टिकट एवं टेलीग्राम	36,087	36,427
IV. अन्य प्राप्तियां			व्यावसायिक प्रभार	1,71,73,566	1,71,43,872
प्रतिभूति जमा - पुस्तकालय	36,700	36,400	प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी व्यय	3,90,085	16,06,440
अन्य अग्रिम प्राप्तियां	15,328	2,595	मरम्मत एवं रख-रखाव	38,97,140	51,12,442
रद्द चेक	7,13,392	1,12,000	सुरक्षा व्यय	9,41,568	9,83,323
अप्रयुक्त अनुदान/भुगतान की वसूली	-	2,63,677	टेलीफोन एवं इंटरनेट व्यय	7,78,305	9,02,603
परिसंपत्तियों का निपटान	-	78,235	यात्रा एवं वाहन	36,68,790	39,39,564
त्यौहार अग्रिमों की वसूली	-	2,625	वेबसाइट व्यय	3,50,349	5,13,097
लंदन में सामरिक अध्ययन के लिए इंटर्न. इंस्ट.	43,506	-	समाचार पत्र, पुस्तक एवं पत्र पत्रिका	2,29,281	3,57,954
			ग्राहक शुल्क एवं सदस्यता व्यय	1,62,094	8,13,572
			अवधि से पूर्व व्यय	-	33,353
कुल अग्रनीत	12,55,92,547	11,32,87,744	कुल अग्रनीत	6,31,94,238	6,12,55,172

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
लेखाकार	सहायक निदेशक, वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

(1)

(2)

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपए मे)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कुल अग्रनीत	12,55,92,547	11,32,87,744	कुल अग्रनीत	6,31,94,238	6,12,55,172
			II. अचल परिसंपत्तियों के लिए भुगतान		
			कंप्यूटर / उपसाधन	2,03,777	5,61,956
			फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स	4,87,716	22,24,629
			पुस्तकालय पुस्तक एवं पत्रिकाएं	36,05,334	63,43,765
			कार्यालय उपस्कर	3,94,573	9,92,614
			ऑडिटोरियम की जलापूर्ति प्रणाली	-	4,29,099
			ऑडिटोरियम का भवन	99,327	22,76,892
			ऑडिटोरियम की चेयर	-	6,60,656
			ऑडिटोरियम के फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स	-	5,23,689
			III. प्रतिभूति निक्षेप/ऋणों का प्रतिदाय		
			प्रतिभूति जमा वापसी-पुस्तकालय	11,200	5,600
			IV. अन्य भगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
			के.लो.नि.वि. को भुगतान	2,76,72,000	76,11,021
			प्रतिभूति जमा - एमटीएनएल	500	-
			सीएससीएपी अनुदान का उपयोग	21,54,379	11,99,873
			एमईए - सेमीनार अनुदान का उपयोग	-	72,32,918
			आईसीएसएसआर अनुदान का उपयोग	10,493	-
			अप्रयुक्त सीएससीएपी/एमईए अनुदान की वापसी	47,79,490	3,74,990
			अनुसंधान हेतु अनुदान पर व्यय	30,17,686	11,74,659
			अन्य अग्रिम	14,32,918	3,33,647
			कर्मचारियों को त्योहार का अग्रिम भुगतान	11,980	-
			रद्द चेकों के विरुद्ध भुगतान	6,000	-
			V. इतिशेष		
			(क) नकद रोकड़	-	6,573
			(ख) बैंक में जमाराशि		
			भारतीय स्टेट बैंक चालू खाता	1,05,52,525	8,51,496
			भारतीय स्टेट बैंक बचत खाता	79,49,957	1,92,19,079
			(ग) अन्य		
			अग्रदाय खाता	5,000	5,000
			प्रेषक के पास डाक टिकटें	3,454	4,406
			चेक इन हैंड	-	10
कुल	12,55,92,547	11,32,87,744	कुल	12,55,92,547	11,32,87,744

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 17/04/2015

(3)

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2015 का तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
संग्रह/पूंजी निधि एवं देनदारियां			
संग्रह/पूंजी निधि	1	1,40,93,359	1,23,72,435
निर्धारित/अक्षय निधि	2	4,69,458	53,01,282
आस्थगित आय	3	13,47,32,811	13,75,56,964
वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान	4	4,16,55,313	1,90,98,271
कुल		19,09,50,941	17,43,28,952
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	5	13,58,03,681	13,86,89,071
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	6	5,51,47,260	3,56,39,881
कुल		19,09,50,941	17,43,28,952
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	12		
आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पणी	13		

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 17/04/2015

ह./- लेखाकार

ह./- सहायक निदेशक, वित्त

ह./- उप महानिदेशक

ह./- महानिदेशक

(3)

(4)

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे

(राशि रुपए में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
केन्द्रीय सरकार से अनुदान (अनुसूची 4, 4 बी देखिए)		7,31,03,978	6,33,46,844
सदस्यता फीस	7	38,042	43,727
स्वामित्व, प्रकाशना आदि से आय	8	6,22,210	5,62,130
शेड्यूल्ड बैंक में बचत खाते से अर्जित ब्याज		9,99,377	10,47,768
अन्य आय	9	1,46,84,030	1,30,85,715
कुल (क)		8,94,47,637	7,80,86,184
व्यय			
स्थापना व्यय	10	1,46,21,867	1,45,07,357
अन्य प्रशासनिक व्यय	11	5,30,13,445	4,47,78,916
अनुसंधान/सेमिनार हेतु अनुदान पर व्यय		37,84,474	17,24,659
प्रकाशनों की लागत		19,84,192	26,73,449
मूल्य ह्रास (देखिए अनुसूची 5)		1,43,22,735	1,18,83,420
संपत्ति के निपटान पर हानि		-	7,86,417
कुल (ख)		8,77,26,713	7,63,54,218
शेष अधिक होने के कारण/(कमी) (क-ख)		17,20,924	17,31,966
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	12		
आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पणी	13		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/04/2015

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
लेखाकार	सहायक निदेशक, वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

(5)

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2015 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 1– संग्रह/पूंजी निधि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष		1,23,72,435		1,06,40,469
जोड़िए: संग्रह/पूंजी निधि में अंशदान	-		-	
जोड़िए: आय और व्यय लेखा से अंतरित शुद्ध/व्यय का अतिशेष	17,20,924		17,31,966	
		17,20,924		17,31,966
वर्ष के अंत में अतिशेष		1,40,93,359		1,23,72,435

अनुसूची 2– निर्धारित/अक्षय निधियां		आईसीएसएसआर से अनुदान	एमईए – परियोजना से अनुदान	कुल चालू वर्ष	कुल पिछला वर्ष
क)	निधियों का प्रारंभिक अतिशेष	10,493	52,90,789	53,01,282	45,48,708
ख)	निधियों में परिवर्धन:				
	दान/चंदा/वापसी/स्थानांतरण	-	15,94,711	15,94,711	92,61,149
	निधियों के मद्देनजर किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-
ग)	निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपभोग/व्यय				
	i. पूंजी व्यय				
	– अचल परिसंपत्तियां	-	-	-	-
	– अन्य	-	-	-	-
	ii. राजस्व व्यय				
	– वेतन, मजदूरियां और भत्ते आदि	-	-	-	-
	– अन्य	-	-		-
	– अन्य – यात्रा एवं अन्य व्यय	-	16,36,552	16,36,552	84,32,791
	iii. अप्रयुक्त अनुदानों का प्रतिदाय	10,493	47,79,490	47,89,983	75,784
	वर्ष के अंत में शुद्ध अतिशेष (क+ख+ग)	-	4,69,458	4,69,458	53,01,282

अनुसूची 3– आस्थगित आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक अतिशेष	13,75,56,964	10,57,28,193
जोड़िए: अवक्षयणीय नियत आस्तियों और चल रहे पूंजी संकर्म के लिए उपयोजित अनुदान (शुद्ध)	1,14,37,345	4,45,12,557
घटाइए: ऐसी आस्तियों पर प्रभारित अवक्षयण के बराबर रकम जो आय और व्यय लेखा में अंतरित कर दी गई है।	1,42,61,498	1,26,83,786
कुल	13,47,32,811	13,75,56,964

ह./- लेखाकार | ह./- सहायक निदेशक, वित्त | ह./- उप महानिदेशक | ह./- महानिदेशक

(5)

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2015 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
अनुसूची 4– वर्तमान देनदारिया और प्रावधान				
क. वर्तमान देनदारियां				
1) विविध लेनदार		72,65,662		8,16,018
2) प्राप्त किया गया अग्रिम		19,314		16,956
3) सांविधिक देनदारियां				
क) अतिदेय	–		–	
ख) अन्य	2,26,559		2,74,060	
		2,26,559		2,74,060
4) अन्य चालू दायित्व				
क) प्रतिभूति जमा	8,61,215		8,35,715	
ख) केन्द्र सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान (4.4 (ख) एससीएच संदर्भ देखें)	2,41,95,307		82,36,630	
ग) केन्द्र सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान (ऑडिटोरियम का जीर्णोद्धार) (एसीएच 4.4 (ग) का संदर्भ देखें)	–		–	
घ) देय वेतन एवं भत्ते	7,67,701		8,42,967	
ड.) अन्य देनदारियां	12,63,909		3,97,466	
		2,70,88,132		1,03,12,778
कुल (क)		3,45,99,667		1,14,19,812
ख. प्रावधान				
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान		70,55,646		76,78,459
कुल (ख)		70,55,646		76,78,459
कुल (क+ख)		4,16,55,313		1,90,98,271

ह./-
लेखाकार

ह./-
सहायक निदेशक, वित्त

ह./-
उप महानिदेशक

ह./-
महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2015 को यथा विद्यमान तूलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 4.4 (ख) केंद्रीय सरकार से अनुप्रयोजित अनुदान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अतिशेष	82,36,630	91,63,291
जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान (सामान्य एवं वेतन)	10,05,00,000	8,48,52,000
	10,87,36,630	9,40,15,291
घटाइए: केंद्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान का आय और व्यय लेखे में अंतरण	7,31,03,978	6,33,46,844
	3,56,32,652	3,06,68,447
घटाइए: अवक्षयणीय नियत परिसंपत्तियों और चल रहे पूंजी संकर्म के लिए उपयोजित (आस्थगित आय का अंतरण)	1,14,37,345	2,24,31,817
उपयोग न किया गया अनुदान, जिसमें अग्रिम सम्मिलित है	2,41,95,307	82,36,630
कुल	2,41,95,307	82,36,630

अनुसूची 4.4 (ग) केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुप्रयुक्त अनुदान (ऑडिटोरियम का जीर्णोद्धार)	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अतिशेष	-	2,20,80,740
जोड़िए: वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	-	-
	-	2,20,80,740
घटाएं : ऑडिटोरियम के जीर्णोद्धार के लिए प्रयुक्त - शीर्ष कार्य प्रगति पर (आस्थगित आय का अंतरण)	-	2,20,80,740
उपयोग न किया गया अनुदान, जिसमें अग्रिम सम्मिलित है	-	-
कुल	-	-

ह./- लेखाकार

ह./- सहायक निदेशक, वित्त

ह./- उप महानिदेशक

ह./- महानिदेशक

8

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2015 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5 – अचल परिसंपत्ति

(राशि रु. में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ पर लागत	वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के आरंभ पर लागत	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत पर योग	चालू वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
स्वयं की निधि से बाहर अधिग्रहीत अचल संपत्तियां										
1. भवन	28,65,530	–	–	28,65,530	17,84,160	54,070	–	18,38,230	10,27,300	10,81,370
2. फर्नीचर, फिक्चर्स	11,56,195	–	–	11,56,195	11,16,094	6,017	–	11,22,111	34,084	40,101
3. कार्यालय उपस्कर	51,097	–	–	51,097	49,375	259	–	49,634	1,463	1,722
4. पुस्तकालय पुस्तक एवं पत्रिकाएं	38,967	–	–	38,967	30,053	891	–	30,944	8,023	8,914
उप जोड़ (क)	41,11,789	–	–	41,11,789	29,79,682	61,237	–	30,40,919	10,70,870	11,32,107
केन्द्रीय सरकार के अनुदान से बाहर अर्जित नियत परिसंपत्तियां										
1. भवन	6,18,09,983	14,29,864	–	6,32,39,847	41,41,946	29,19,147	–	70,61,093	5,61,78,754	5,76,68,037
2. फर्नीचर, फिक्चर	3,78,87,688	18,73,725	–	3,97,61,413	1,30,02,915	38,91,172	–	1,68,94,087	2,28,67,326	2,48,84,773
3. कार्यालय उपस्कर	1,08,54,801	4,20,279	–	1,12,75,080	53,25,521	8,64,049	–	61,89,570	50,85,510	55,29,280
4. कंप्यूटर/उपसाधन	1,22,01,139	2,03,777	–	1,24,04,916	82,67,375	10,16,819	–	92,84,194	31,20,722	39,33,764
5. पुस्तकालय पुस्तक एवं पत्रिकाएं	2,53,40,638	44,93,975	–	2,98,34,613	79,00,441	20,37,255	–	99,37,696	1,98,96,917	1,74,40,197
6. पुस्तकालय आईटी अवसंरचना	1,31,93,985	–	–	1,31,93,985	88,47,231	10,86,688	–	99,33,919	32,60,066	43,46,754
7. विद्युत इंस्टालेशन	2,20,92,198	38,80,357	–	2,59,72,555	80,18,763	24,02,041	–	1,04,20,804	1,55,51,751	1,40,73,435
8. साइकिल एवं रिक्शा	7,000	–	–	7,000	3,024	596	–	3,620	3,380	3,976
9. जल आपूर्ति प्रणाली	10,12,815	–	–	10,12,815	1,38,206	43,731	–	1,81,937	8,30,878	8,74,609
उप – जोड़ (ख)	18,44,00,247	1,23,01,977	–	19,67,02,224	5,56,45,422	1,42,61,498	–	6,99,06,920	12,67,95,304	12,87,54,825
चालू वर्ष का योग (क+ख)	18,85,12,036	1,23,01,977	–	20,08,14,013	5,86,25,104	1,43,22,735	–	7,29,47,839	12,78,66,174	12,98,86,932
पिछला वर्ष	11,13,91,900	7,90,31,987	19,11,851	18,85,12,036	4,77,87,883	1,18,83,420	10,46,199	5,86,25,104	12,98,86,932	–
जारी पूंजीगत कार्य									79,37,507	88,02,139
कुल									13,58,03,681	–

ह./-
लेखाकार

ह./-
सहायक निदेशक, वित्त

ह./-
उप महानिदेशक

ह./-
महानिदेशक

(९)

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2015 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
अनुसूची 6 –चालू परिसंपत्तियां ऋण, अग्रिम आदि				
क. चालू परिसंपत्तियां:				
1 फुटकर देनदार		-		-
2 कुल शेष राशि (चेक/ड्राफ्ट तथा अग्रदाय शामिल)		8,454		15,989
3 बैंक शेष				
अनुसूची बैंक साथ				
– चालू खाता (भारतीय स्टेट बैंक)		1,05,52,525		8,51,496
– बचत खाता (भारतीय स्टेट बैंक)		79,49,957		1,92,19,079
कुल (क)		1,85,10,936		2,00,86,564
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां				
1 अग्रिम एवं अन्य वसूली योग्य नकद धनराशि अथवा प्राप्त किया जाने वाला मूल्य				
क) पूंजीगत लेखे पर– सीपीडब्ल्यूडी		3,25,34,620		1,16,76,947
ख) पूर्व–भुगतान		19,96,356		23,69,150
ग) आयकर (टीडीएस) वसूली योग्य		73,690		73,690
घ) अन्य		20,31,658		14,33,530
कुल (ख)		3,66,36,324		1,55,53,317
कुल (क + ख)		5,51,47,260		3,56,39,881

ह./-
लेखाकार

ह./-
सहायक निदेशक, वित्त

ह./-
उप महानिदेशक

ह./-
महानिदेशक

(९)

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 7	सदस्यता फीस		
	पुस्तकालय सदस्यता	38,042	43,727
	कुल	38,042	43,727

		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 8	स्वामित्व, प्रकाशनों आदि से आय		
	स्वामित्व	6,08,627	5,24,398
	प्रकाशन की बिक्री	13,583	37,732
	कुल	6,22,210	5,62,130

		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 9	अन्य आय		
	क) आस्थगित आय से अंतरित (देखिए अनुसूची 3)	1,42,61,498	1,26,83,786
	ख) विविध आय	4,22,532	4,01,929
	कुल	1,46,84,030	1,30,85,715

ह./- लेखाकार | ह./- सहायक निदेशक, वित्त | ह./- उप महानिदेशक | ह./- महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 10 स्थापना व्यय		
क) वेतन और मजदूरियां	1,18,83,853	1,11,33,003
ख) बोनस	96,712	1,02,732
ग) कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि का अंशदान	9,76,458	9,37,078
घ) कर्मचारी कल्याण व्यय	17,242	1,21,406
ड.) प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभार - आर.पी.एफ.सी.	14,870	13,410
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा सेवांत लाभों (उपदान) पर किया जाने वाला व्यय	8,27,233	15,50,030
छ) चिकित्सा व्यय (निवल वसूली)	7,70,370	6,29,698
ज) कर्मचारी समूह बीमा	35,129	20,000
कुल	1,46,21,867	1,45,07,357

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 11 अन्य प्रशासनिक व्यय		
क) लेखा फीस	2,90,060	2,97,435
ख) सीएससीएपी - सामान्य व्यय	-	280
ग) विज्ञापन खर्च	85,657	1,36,051
घ) विद्युत एवं जल	41,40,318	38,93,500
ड.) सेमीनार/कार्यशाला पर व्यय	1,14,56,400	90,73,805
च) कार्यालय बीमा	34,158	23,761
छ) एनडीएमसी संपत्ति कर	41,34,695	65,585
ज) कार्यालय व्यय	8,01,432	5,95,188
झ) डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	8,55,052	9,34,941
ञ) मुद्रण और लेखन सामग्री	5,19,296	15,95,147
ट) वृत्तिक एवं अन्य मानव शक्ति प्रभार	1,85,12,934	1,67,19,489
ठ) रख-रखाव एवं मरम्मत	54,26,880	50,65,780
ड) सुरक्षा व्यय	10,30,359	9,10,204
ढ) यात्रा एवं वाहन व्यय	41,18,722	38,77,189
ण) अन्य व्यय	3,56,337	1,53,626
त) समाचारपत्र, पुस्तक और पत्रिकाएं	3,59,402	1,37,166
थ) ग्राहकी एवं सदस्यता शुल्क	5,51,135	7,53,319
द) वेबसाइट व्यय	3,40,608	5,13,097
ध) पूर्व अवधि व्यय	-	33,353
कुल	5,30,13,445	4,47,78,916

ह./- लेखाकार   ह./- सहायक निदेशक, वित्त   ह./- उप महानिदेशक   ह./- महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: 12 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. **लेखाकरण अभिसमय**

जब तक कि अन्यथा कथित न हो, लेखाओं की ऐतिहासिक लागत अभिसमय के आधार पर और साधारणतया लेखाकार की प्रोद्भवन पद्धति पर तैयार किया गया है सिवाय सीएससीएपी अनुदान और उपयोग के संबंध में जोकि नकद आधार पर उपयोग किया जाता है।

2. **अचल संपत्तियां और मूल्यह्रास**

2.1 अचल परिसंपत्तियों का निर्धारण अधिग्रहण की लागत पर किया जाता है, जिनके अंतर्गत अर्जन के संबंध में अनुषंगी और प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित हैं।

2.2 नियत आस्तियों का मूल्यांकन लागत पर, उसमें से एकत्रित अवक्षयण को घटाकर किया गया है। नियत आस्तियों पर अवक्षयण, प्रबंधन द्वारा विनिश्चित किए गए, अनुसार समुचित दरों पर अपलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया गया है:

भवन	5%
पुस्तकालय पुस्तकें और पत्रिकाएं	10%
फर्नीचर और फिक्स्चर	15%
कार्यालय उपस्कर	15%
कम्प्यूटर/उपसाधन	25%
विद्युत प्रतिष्ठान	15%
साइकिलें	15%
जल आपूर्ति प्रणाली	5%

रिपोर्ट के अधीन वर्ष के 1 अक्तूबर को या उसके पश्चात क्रय की गई आस्तियों का उपरोक्त कथित दरों से 50% का अवक्षयण कर लिया गया है।

ह./	ह./-	ह./	ह./-
लेखाकार	सहायक निदेशक वित्त	उप निदेशक	महानिदेशक

3. राजस्व मान्यता

3.1 विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदानों/अभिदायों को प्रारंभ में दायित्व के रूप में माना गया है और उन्हें वर्ष के दौरान उपयोग के अनुसार पूंजी या राजस्व व्ययों के लिए समायोजित किया गया है।

3.2 अवक्षणीय आस्तियों के लिए उपयोग की गई सीमा तक अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और उसे प्रणालीबद्ध तथा सुसंगत आधार पर आय और व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है।

3.3 साधारणतया, राजस्व व्यय के लिए उपयोजित अनुदानों को वर्ष के दौरान आय माना गया है।

4. विदेशी मुद्रा में लेनदेन

लेन देन की तिथि को जारी विदेशी मुद्रा में वर्णित लेनदेन की गणना विदेश मंत्रालय के विनिमय की अधिकृत दर (ओआरई) पर की गई है।

5. सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

भविष्य निधि में कर्मचारियों और नियोक्ता के अंशदान को ई पी एफ ओ को अंतरित किया जाता है।

उपदान के लिए प्रावधान की संगणना इस उपधारणा पर की जाती है कि उपदान सभी कर्मचारियों को लेखाकरण वर्ष की समाप्ति पर संदेय है। उपदान की ऐसी रकम को राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 17/04/2015

ह./	ह./-	ह./	ह./-
लेखाकार	सहायक निदेशक, वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: 13 आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पण

1. आकस्मिक देनदारियां :

क. श्री एच.एस. चड्ढा, एसी संयंत्र प्रचालक नामक कर्मचारी की सेवाएं प्रबंधन द्वारा 01 अप्रैल, 1995 से 26 सितंबर, 2001 के दौरान समाप्त कर दी गई थीं। उन्होंने सेवा समाप्ति के विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया था और निचली अदालत ने आईसीडब्ल्यू को कर्मचारी को पिछली पूरी अवधि का पारिश्रमिक देने का निदेश देते हुए आदेश पारित किया। आई सी डब्ल्यू द्वारा निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किए जाने के कारण 2.00 लाख रुपए की देनदारी का भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि, उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आईसीडब्ल्यूए ने न्यायालय के पास 1,01,205/- रुपए जमा करा दिए हैं, जिन्हें तुलन पत्र में अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

ख. आईसीडब्ल्यूए के विरुद्ध अन्य मामलों के संबंध में देनदारियां, यदि कोई हैं - शून्य

2. **पूंजी प्रतिबद्धताएं:** अग्रिम निवल - शून्य

3. विश्व मामलों की भारतीय परिषद एक ऐसी सोसाइटी है जो कि पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है, विश्व मामलों की भारतीय परिषद को एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में 1943 में स्थापित किया गया था। विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय ने भारतीय विश्व कार्य संबंधी परिषद अध्यादेश, 2000 (2000 का 3) जारी किया था, जिसके द्वारा परिषद के प्रबंधन को भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। इस अध्यादेश को अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्या 29) के अधिनियम द्वारा और विनियमित किया गया था। वर्तमान में परिषद, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से मिलने वाले अनुदानों द्वारा वित्तपोषित है।

4. सीएससीएपी-भारत और विश्व में विविध सीएससीएपी की बैठक आयोजित करने के लिए परिषद विदेश मंत्रालय से सीएससीएपी अनुदान प्राप्त करती है। परिषद केवल अनुदान के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है अर्थात अनुदान को प्राप्त करना तथा उसका

(15)

प्रत्येक अनुदान के लिए विशिष्ट मंजूरियों हेतु उसका उपयोग करना। परिषद का दृष्टिकोण है कि सीएससीएपी लेनदेन परिषद के अतिशेष / कमी से प्रभावित नहीं होगा और तदनुसार नकद आधारित लेखाविधि के लिए जिम्मेवार होगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2006-07 से संबंधित सी एस सी ए पी सदस्यों के यात्रा व्यय 2,603 रुपए एवं 1,550 रुपए की अदायगी के लिए अनुमोदन नहीं प्रदान किया है।

5. जहां कही आवश्यक था, पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुन: समूहबद्ध या पुन: व्यवस्थित किया गया है ताकि वह चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप हो सके।
6. अंतिम लेखों में अंकों को निकटतम पूर्ण रुपयों में लिखा गया है।
7. अचल परिसंपत्ति में पूर्ण विवरण दिए गए हैं, जिसमें सरकार द्वारा अधिकार में लिए जाने से पहले पूर्व प्रबंधन द्वारा सुरक्षित रखी गई सभी अचल परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरण एवं अवस्थिति शामिल है।
8. उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वर्तमान प्रबंधन के पास लीज रेंट की कोई देनदारी नहीं है।

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 17/04/2015

ह./	ह./-	ह./	ह./-
लेखाकर	सहायक निदेशक, वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

(15)

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए विश्व मामलों की भारतीय परिषद के लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अंतिम पृथक रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2015 के अनुसार विश्व मामलों की भारतीय परिषद के संलग्न तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 जिसे विश्व मामलों की भारतीय परिषद (संशोधन) अधिनियम 2003 की धारा 20 (2) पढ़ा जाता है, की है। इन वित्तीय विवरणों की जवाबदेही विश्व मामलों की भारतीय परिषद की है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय ब्यौरों पर विचारों की अभिव्यक्ति करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सिर्फ लेखा उपचार पर वर्गीकरण, बेहतर लेखा अभ्यास की संपुष्टि, लेखा मानक एवं प्रकटन मानक आदि के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियम एवं विनियम (स्वामित्व एवं नियमितता) तथा दक्षता सह प्रदर्शन पहलू आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा पर्यवेक्षण यदि कोई हो, तो उसे निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।

3. भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानक के अनुसार लेखापरीक्षा की गई है। इन मानकों को अपेक्षा होती कि हम जो लेखापरीक्षा करते हैं उनके वित्तीय विवरण में मटीरियल संबंधी मिथ्या विवरण न होने के संबंध में समुचित आश्वासन प्राप्त हों। लेखापरीक्षा में जांच आधार पर परीक्षण, वित्तीय विवरण में राशियों एवं प्रकटन की पुष्टि करने वाले साक्ष्य शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांत का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण अनुमान तथा वित्तीय विवरणों के सभी प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत को समुचित आधार प्रदान करता है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i. जहां तक हमें पता है और विश्वास है हमने लेखापरीक्षा के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर ली हैं;

ii. इस रिपोर्ट के साथ पेश किए गए तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखे के प्रारूप को लेखा, महानियंत्रक, विदेश मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है।

iii. पुस्तक का परीक्षण करने से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम, 2003 की धारा 20 (1) की आवश्यकतानुसार लेखा की समुचित पुस्तकें एवं अन्य प्रासंगिक रिकार्ड विश्व मामलों की भारतीय परिषद द्वारा तैयार की गई हैं।

iv. आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. सामान्य

क.1 भारत सरकार/रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त 1983 में पंजीकृत सोसाइटियों तथा अन्य संस्थानों को राष्ट्रीय बैंक में चालू खाते को बचत खाते में रूपांतरित करने की सुविधा प्रदान की थी। लेखापरीक्षा (जुलाई, 2012) द्वारा इंगित किए जाने पर परिषद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बचत खाता खोला परंतु निधि की अधिकांश धनराशि बचत खाते की बजाय चालू खाते में रखने के कारण परषिद को अनुदान के अप्रयुक्त राशि पर ब्याज की क्षति हुई। परिषद को अतिरिक्त राशि के निवेश पर विचार करना चाहिए।

क. 1.2 अनुसूची 5 (स्वयं की निधि से अधिग्रहीत अचल संपत्ति) के अनुसार परिषद ने "अचल आस्ति" शीर्ष के अंतर्गत 41,11,789 रुपए दिखा रखा है। तथापि, परिषद ने इन अचल आस्तियों का अनुरक्षण नहीं किया है, इसलिए लेखापरीक्षा में इन आंकड़ों का सही सत्यापन नहीं हुआ।

परिषद ने जुलाई 2015 में दिए गए अपने उत्तर में बताया है कि ये अचल आस्तियां पूर्व प्रबंधन से संबधित हैं जिन्हें उन लेखों से अग्रेनीत किया गया है तथा इन अचल आस्तियों के अनुरक्षण के लिए एक रजिस्टर बनाया गया है। परिषद का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी अचल आस्तियों का रिकार्ड परिषद के पास उपलब्ध होना चाहिए। परिषद के पास जिन रिकार्डों का पता नहीं चल रहा है उनकी अचल आस्तियों का सत्यापन एवं मूल्यांकन अवश्य किया जाना चाहिए।

ख. सहायता अनुदान

विश्व मामलों की भारतीय परिषद को मुख्य रूप से विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से वित्तीय सहायता अनुदान मिलता है। वर्ष 2014-15 के दौरान परिषद के पास 82.37 लाख रुपए की

प्रारंभिक ज़मा राशि थी तथा परिषद ने 1005.00 लाख रुपए का अनुदान गैर योजना के अंतर्गत प्राप्त किया था, जिसे मिलाकर कुल 1087.37 लाख रुपए हो गया था। तथापि, इनमें से 845.41 रुपए खर्च हुए थे तथा 241.96 लाख रुपए अप्रयुक्त राशि के रूप में शेष बची थी। इसके अतिरिक्त परिषद के पास निर्धारित निधि के अंतर्गत विदेश मंत्रालय की परियोजनाओं के लिए 53.01 लाख रुपए प्रारंभिक जमा राशि थी तथा वर्ष के दौरान 15.95 लाख रुपए अनुदान राशि के रूप में प्राप्त हुए, जिनमें से 16.37 लाख रुपए व्यय हुए एवं 47.90 लाख रुपए वापस किए जाने के पश्चात 4.69 लाख रुपए की राशि शेष थी। सेमिनार के लिए 5.18 लाख रुपए की राशि भी अनुदान के रूप में प्राप्त हुई थी। परिषद के पास विभिन्न स्रोतों से भी 10.83 लाख रुपए की अपनी स्वयं की प्राप्तियां थीं।

ख.1.2 अप्रयुक्त अनुदान

परिषद के तुलन पत्र में 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए देनदारियां एवं प्रबंधन शीर्ष के अंतर्गत 241.96 रुपए अप्रयुक्त अनुदान के रूप में दर्शाया गया है। ये अप्रयुक्त अनुदान सी पी डब्ल्यू डी एवं अन्य सरकारी निकायों को अनुदान के रूप में दिए गए हैं। हालांकि, परिषद द्वारा दिए गए उपयोग प्रमाण पत्र में लेखापरीक्षा ने नोटिस किया है कि परिषद ने अप्रयुक्त अनुदान में से भुगतान की गई अग्रिम राशि का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं किया है तथा अनुदान को पूरी तरह प्रयुक्त दिखाया गया है, जो कि जी एफ आर में उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने से संबंधित प्रावधान के अनुसार सही नहीं है।

ग. प्रबंधन पत्र

लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई जिन कमियों को पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है उन्हें सुधार के लिए प्रबंधन द्वारा अलग से जारी एक पत्र के माध्यम से परिषद के संज्ञान में लाया गया है।

v. पूर्ववर्ती पैराग्राफ में किए गए पर्यवेक्षण के तहत, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा पेश किए गए तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखे तथा प्राप्तियों एवं भुगतान लेखे से लेखाबही की समानता है।

vi. मेरी राय में तथा मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण को लेखा नीतियों एवं एकाउंट नोट के साथ पढ़ लिया गया है। इस लेखापरीक्षा के अनुबंध-1 में

उल्लिखित ऊपर उद्धृत महत्वपूर्ण विषय एवं अन्य विषयवस्तु भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों की समनुरूपता का सत्य एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

क. जहां तक कि 31 मार्च, 2015 तक की विश्व मामलों की भारतीय परिषद के राज्य मामलों के तुलन पत्र का संबंध है, और

ख. जहां तक कि 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे के अधिशेष का संबंध है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एवं की ओर से

ह./-
महानिदेशक, लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

(19)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.10.2015

नोट: प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप में अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होगी, तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

अनुबंध-I

विश्व मामलों की भारतीय परिषद की वर्ष 2014-15 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली :

प्रधान, मुख्य नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय द्वारा 2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिए परिषद की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई।

2. आंतरिक नियंत्रक प्रणाली की प्रचुरता :

पर्यावरण नियंत्रण

- ड्यूटी की कोई पृथकता नहीं थी, क्योंकि बिल बनाने एवं नकद वितरण का कार्य एक ही कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था।
- निर्णय लेने के कार्य को सरल बनाने के लिए कोई प्रबंधन सूचना प्रणाली नहीं लगाई गई थी।

निगरानी

- लेखापरीक्षा की आपत्तियों पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावकारी नहीं थी, क्योंकि वर्ष 2004-09 (1), 2010-11 (3), 2011-13 (8) एवं 2013-14 (5) के 17 पैरे बकाया थे।

20

3. अचल आस्त्यिों की भौतिक सत्यापन प्रणाली :

- परिषद ने अपने उत्तर में बताया है कि अचल आस्तियों का भौतिक सत्यापन निम्नानुसार किया गया है :

क्र.सं.	आस्ति पंजिका	भौतिक सत्यापन की तिथि
1.	कार्यालय उपकरण, फर्नीचर एवं फिक्सचर, भवन, इलेक्ट्रिक इंस्टालेशन, साइकल एवं रिक्शा तथा जल आपूर्ति प्रणाली	10.06.2015
2.	पुस्तकालय की किताबें एवं पत्रिकाएं	11.12.2015
3.	कंप्यूटर/पेरिफेरियल, पुस्तकालय सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना	25.05.2015

4. वस्तु सूची की भौतिक सत्यापन प्रणाली

परिषद ने अपने उत्तर में बताया है कि मदों की सूची का भौतिक सत्यापन निम्नानुसार किया गया है :

क्र.सं.	स्टॉक/सूची पंजिका	भौतिक सत्यापन की तिथि
1.	सफाई सामग्री एवं मेंट/अनुभाग उपभोज्य	08.06.2015
2.	आई टी उपभोज्य एवं अन्य संबंधित सामग्री	25.05.2015
3.	लेखन सामग्री	10.06.2015

5. सांविधिक देनदारियों के भुगतान में नियमितता

31.03.2015 तक कोई अतिदेय सांविधिक देनदारियां बकाया नहीं थीं। अन्य सांविधिक देनदारियों के लिए 2.27 लाख रुपए मात्र बकाया था।

ह./-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (ई ए)

(21)

(21)